

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो
नई दिल्ली, -----

अधिसूचना

संख्या केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/13:10 - भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988, के विनियम 6 के उप विनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पादों की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है:

अनुसूची

आइ एस सं.	भाग	खण्ड	वर्ष	उत्पाद	इकाई	न्यूनतम मुहरांकन शुल्क		इकाई दर स्लैब १	स्लैब १ में इकाईयाँ	इकाई दर स्लैब २	स्लैब २ में इकाईयाँ	इकाई दर शेष	प्रचालन तिथि
						बड़े पैमाने पर	छोटे पैमाने पर						

()

उप/अपर महानिदेशक